INSTITUTE FOR DEFENCE STUDIES & ANALYSES
रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान

समीक्षा

चीफ़ ऑफ़ डिफ़ेंस स्टाफ़ की नियुक्ति: एक ऐतिहासिक निर्णय

सुजान आर. चिनोय
रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान
(आईडीएसए), नई दिल्ली के महानिदेशक हैं।

29 अगस्त 2019

सीडीएस की नियुक्ति का निर्णय भारतीय रक्षा बलों के पूर्ण एकीकरण की राह में मील का पत्थर है। 21वीं सदी की चुनौतियों का सामना करने के लिए निर्बाध समन्वय, बेहतर दक्षता और राष्ट्रीय रक्षा संरचना की अधिक प्रभावशीलता की दिशा में यह एक महत्त्वपूर्ण क़दम है।

चीफ़ ऑफ़ डिफ़ेंस स्टाफ़ की नियुक्ति: एक ऐतिहासिक निर्णय

स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐतिहासिक लाल किले की प्राचीर से दिए गए अपने संबोधन में भारत में सुधारों और विकास से जुड़े कई मुद्दों को समाहित किया। चीफ़ ऑफ़ डिफ़ेंस स्टाफ़ (सीडीएस) के पद का सृजन उनके द्वारा की गई कई अहम घोषणाओं में से एक था, जिसे उन्होंने 'एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण और उल्लेखनीय कार्य'[1] के रूप में वर्णित किया। जल, थल और वायु सेना की भूमिका की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि संस्था के रूप में सीडीएस उच्च रक्षा प्रबंधन के लिए एक बेहतर दिशा प्रदान करेगी।

सीडीएस की नियुक्ति का निर्णय भारतीय रक्षा बलों के पूर्ण एकीकरण की राह में मील का पत्थर है। 21वीं सदी की चुनौतियों का सामना करने के लिए निर्बाध समन्वय, बेहतर दक्षता और राष्ट्रीय रक्षा संरचना की अधिक प्रभावशीलता की दिशा में यह एक महत्त्वपूर्ण क़दम है।

एकीकरण के विषय में मोदी सरकार हमेशा से ही दूरदर्शी और कड़े फ़ैसले लेने वाली रही है। स्मरण हो कि प्रथम और एकमात्र त्रि-सेवी थिएटर 'अंडमान एंड निकोबार कमांड' (एएनसी) और 'एकीकृत रक्षा कर्मचारी मुख्यालय' (एचक्यू आईडीएस) भी 2001 में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नीत सरकार की निर्मिति थे। 2018 में प्रधानमंत्री मोदी ने अंतरिक्ष और साइबर के लिए एजेंसियों की स्थापना करके एकीकरण की दिशा में अतिरिक्त क़दम उठाए। साथ ही चेयरमैन, चीफ़्स ऑफ़ स्टाफ़ कमेटी के अधीन एक स्पेशल ऑपरेशंस डिवीज़न का भी गठन किया गया।

यह सभी उपक्रम किसी केंद्रीय तंत्र की कमी के कारण बाधित हो रहे थे। ऐसा तंत्र जो कोई दिशा प्रदान कर सके और यह सुनिश्चित कर सके कि सम्पूर्ण रक्षा संरचना अपने एकल सामर्थ्य से अधिक उभरकर अपनी सामूहिक और वास्तविक क्षमता को प्रदर्शित कर सके। सीडीएस के पद का सृजन अनावश्यक और स्वनिर्मित बाधाओं को दूर करेगा। यह एक लंबी चली आ रही उस बहस को भी विराम देता है जो कारगिल रिव्यू कमेटी और मंत्रियों के समूह (GoM) द्वारा सीडीएस की नियुक्ति को सरकार के प्रमुख सैन्य सलाहकार के रूप में काम करने की अनुशंसा करता था। कालांतर में 2012 में नरेश चंद्र समिति रिपोर्ट ने तीनों प्रमुखों के समान एक स्थाई चेयरमैन, चीफ़ ऑफ़ स्टाफ़ कमेटी की सिफ़ारिश की थी।

अब चूंकि सीडीएस के पद का रास्ता साफ़ हो गया है तो यह सुनिश्चित करना महत्त्वपूर्ण है कि इसका विधान, शक्तियां और अन्य नियुक्तियों तथा संगठनों से संबंध कैसे रहेंगे ताकि राष्ट्रीय रक्षा में सहज एकीकरण और समग्र दक्षता प्राप्त हो सके। कार्यान्वयन प्रक्रिया के हिस्से के रूप में कुछ महत्त्वपूर्ण

[1] **"PM's address to the Nation from the ramparts of the Red Fort on the 73rd Independence Day,"** August 15, 2019.

पहलुओं पर ध्यान देने और विचार विमर्श करने की आवश्यकता है जिसमें एक स्पष्ट योजना और संस्थागत उद्देश्यों के बारे में एक दृष्टि शामिल हो। आगामी सीडीएस तंत्र की प्रभावशीलता काफ़ी हद तक उसे दी गई भूमिका और ज़िम्मेदारी पर निर्भर करेगी। वृहद स्तर पर सीडीएस को 'संयुक्त योजना को लागू करने', 'प्रशिक्षण' और 'संचालन' की एक धुरी के रूप में कार्य करना चाहिए। इसे एक दीर्घकालिक परिप्रेक्ष्य में प्रारंभ करना चाहिए जो प्रधानमंत्री की सोच को वास्तविकता में बदल सके। न केवल शीर्ष स्तर पर बल्कि ज़मीनी स्तर पर भी सशस्त्र बलों के साथ इस दृष्टि की संबद्धता महत्त्वपूर्ण है, जहाँ इस पहल का लाभ प्रारंभिक स्तर से होना चाहिए। यदि भारत के उत्तरी पश्चिमी और दक्षिणी परिधि को देखने वाले युद्ध भूमि के निर्माण की परिकल्पना की गई है तो वास्तविक व्यवहार में कार्यान्वयन के लिए सुचारु प्रक्रिया प्रयास भी एक महत्त्वपूर्ण तत्व होना चाहिए ।

सीडीएस और सहायक संरचनाओं के निर्माण से सेवा निष्ठाओं या व्यक्तिगत विचारों पर पूर्वग्रह के बिना मौजूदा संरचना का पुनर्मूल्यांकन करने का अवसर मिलेगा। यह अनावश्यक खर्च में कटौती करने में मदद करेगा। बुनियादी ढांचे और मानव संसाधनों में संपत्ति का दोहराव, चाहे वह प्रशिक्षण में हो या परिचालन में, रक्षा बजट में एक बड़ी विसंगति है जिसमें साठ फीसदी वेतन और पेंशन की ओर जाता है, जो पूंजी अधिग्रहण के लिए बहुत कम है। कुल मिलाकर, सीडीएस की संस्था भारत के सामने आने वाले ख़तरों और चुनौतियों की जटिलता को देखते हुए रक्षा प्रतिष्ठानों को युद्ध के बदलते चरित्र के साथ तालमेल बिठाने में सक्षम बनाएगी।

संघर्षों का संकरण (हाइब्रिडाइज़ेशन) अब एक काल्पनिक अवधारणा नहीं है। कश्मीर के परिदृश्य में सूचना युद्ध का ख़तरा देखा जा रहा है। साइबर हमलों की चुनौती एक वास्तविकता है जो सुरक्षा प्रतिष्ठानों को भलीभाँति ज्ञात है। एक बड़े युद्ध के आगमन का न होना शांति का सूचक नहीं है। जब तक प्रासंगिक सिद्धांतों और संरचनाओं को एकीकृत नहीं किया जाता है, तब तक प्रधानमंत्री का अपूर्व निर्णय अपनी पूर्णता में महसूस नहीं किया जा सकता है।

दुनिया भर में कई देशों ने बहुत पहले से ही एक उच्च स्तर के एकीकरण का प्रयास किया है और उसमें सफलता भी पाई है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने 1986 में गोल्डवाटर-निकोल्स अधिनियम के माध्यम से इस तरह के सुधारों को अपनाया। चीन ने 2016 में इस तरह के एकीकरण को लागू किया जब सात सैन्य क्षेत्रों को पांच इंटीग्रेटेड ऑपरेशनल थिएटर कमांडों में पुनर्गठित किया गया था। पूर्वी और पश्चिमी थिएटर की कमान थलसेना के अधिकारियों, दक्षिणी थिएटर की कमान नौसेना अधिकारी और उत्तरी और मध्य थिएटर की कमान वायुसेना के नेतृत्व में होती है। इससे पहले 2015 में, चीन ने दूसरी आर्टिलरी कोर को एक और अधिक मज़बूत पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए) रॉकेट फ़ोर्स के रूप में पुनर्गठित किया और अंतरिक्ष, साइबर और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध संरचनाओं को एकीकृत करते हुए एक रणनीतिक सहायक बल (स्ट्रेटिजिक सपोर्ट फ़ोर्स) की स्थापना की।

चीन में एकीकरण की अन्य अनूठी प्रणालियाँ हैं। पीएलए के राजनीतिक आयुक्त सैन्य नेतृत्व को कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ़ चाइना (सीपीसी) के मूल सिद्धांतों से जोड़ते हैं। पीएलए के कई अधिकारी पार्टी

संगठन के सदस्य हैं। पार्टी के प्रतिनिधि सभी इकाइयों में सन्निहित हैं। अर्धसैनिक पीपुल्स आर्म्ड पुलिस (पीएपी) की इकाइयाँ, जो पहले दोहरे सैन्य और सिविल कमांड के तहत थीं, अब एकीकृत थिएटर कमांड्स का हिस्सा हैं, जो राष्ट्रपति शी जिनपिंग की अध्यक्षता में केंद्रीय सैन्य आयोग (सीएमसी) को रिपोर्ट करती हैं।

प्रधानमंत्री मोदी के दृष्टिकोण ने भारतीय सशस्त्र बलों की तीनों सेवाओं को एकीकृत करने का एक बड़ा अवसर प्रदान किया है। सीडीएस राजनीतिक नेतृत्व को सैन्य सलाह की एक-सूत्रीय प्रस्ताव, और इसके निर्णयों का निष्पादन, बदलती रणनीतिक और साथ ही सुरक्षा वातावरण की चुनौतियों का सामना करने में एक उल्लेखनीय भूमिका तय करेगा। एक ऐतिहासिक दिवस पर ऐतिहासिक निर्णय की घोषणा की गई है। अब, रक्षा प्रतिष्ठानों को सभी हितधारकों और विशेषज्ञों के समर्थन के साथ इस दृष्टि को प्रभावी तरीके से वास्तविकता में बदलने में मदद करनी चाहिए।

रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान (आईडीएसए) एक निष्पक्ष और स्वायत्त निकाय है जो रक्षा के सभी आयामों पर वस्तुनिष्ठ अनुसंधान और नीतिगत अध्ययन के लिए समर्पित है। इसका उद्देश्य वर्तमान में रक्षा से संबंधित मुद्दों पर ज्ञान के प्रसार के माध्यम से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ावा देना है।

उपरोक्त विचार लेखक के अपने निजी विचार हैं और यह आवश्यक नहीं है कि वह आईडीएसए अथवा भारत सरकार के विचारों का प्रतिनिधित्व करे।

प्रस्तुत आलेख अपने मूल रूप में अंग्रेज़ी भाषा में लिखा गया है, जो आईडीएसए की वेबसाइट पर उपलब्ध है। किसी भी द्वंद्व की स्थिति में अंग्रेज़ी भाषा का आलेख ही मान्य होगा।